दिनांक–20.12.2023(बुधवार)को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–

1. न्यायमूर्ति श्री अनंता मनोहर बदर	–माननीय अध्यक्ष	– उपस्थित
2. श्री उज्ज्वल कुमार दुबे	–माननीय सदस्य	– उपस्थित
3. श्री शशि शेखर शर्मा, माननीय	–माननीय सदस्य	– अनुपस्थित

1. आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2022 का अनुमोदन किया गया। तथा यह निर्णय लिया गया कि इसकी 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर पूर्व की भाँति सभी स्तर पर भेजी जाय। साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन 2023 को तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय।
2. आयोग कार्यालय के पुराने निष्पादित वाद अभिलेखों के Digitization कार्य की जानकारी आयोग के समक्ष रखी गयी। बैठक में जानकारी दी गई कि अभी तक 29,273 वाद अभिलेख का Digitization कर लिया गया है। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि "मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा–13 के प्रावधानानुसार आयोग को सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में सिविल कोर्ट नियमावली के अन्तर्गत अभिलेखों की विनिष्टीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आयोग कार्यालय के निष्पादित अभिलेखों का Digitization के उपरान्त विनष्टीकरण किया जाय।"
3. आयोग के सचिव को विभागध्यक्ष नामित करने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा–21(3) में सचिव के अधिकार का उल्लेख है। अतः उक्त के आलोक में आयोग द्वारा सचिव को विभागाध्यक्ष नामित किये जाने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया ।
4. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के आलोक में आयोग कार्यालय हेतु स्वीकृत कार्यालय परिचारी एवं वाहन चालक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु तैयार की गई मार्गदर्शिका को आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया।
5. आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि Care Taker एवं Sweeper के एकल पद पर नियोजन करने के वजाय फिलहाल आयोग कार्यलय में पूर्व से साफ–सफाई, सुरक्षा आदि कार्य हेतु रखे गये Outsourcing एजेंसी के माध्यम से ही केयर टेकर एवं सफाई कर्मी को रखा जाय।
6. संविदा पर कार्यरत कर्मियों के EPF/ESIC की कटौती के संदर्भ में बताया गया कि उक्त मद में कटौती माह जुलाई 2023 से की जा रही है तथा अंशदान की स्वीकृति हेतु गृह विभाग को पत्र भेजा गया है। कर्मियों द्वारा मानदेय बढ़ोत्तरी हेतु आवेदन दिया गया है। इस संबंध में आयोग के स्तर से **अपर पुलिस महानिदेशक** एवं **निबंधक** की एक कमिटी गठित करने का

निर्णय लिया गया तथा उक्त कमिटी को दिनांक 31.01.2024 तक अपनी अनुशंसा समर्पित करने का निदेश दिया जाता है। उक्त कमिटी की अनुशंसा के आलोक में आयोग के स्तर से अनुवर्ती निर्णय लिया जायेगा।

7. माननीय सदस्य, श्री शशि शेखर शर्मा द्वारा राज्य से बाहर वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में करायी गयी चिकित्सा की घंटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव के संबंध में दिनांक–19.12.2023 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में यथाशीघ्र अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

8. आयोग कार्यालय के आप्त सचिव/निजी सहायक के रिक्त पद पर अंग्रेजी के जानकार (माननीय उच्च न्यायालय या व्यवहार नयायालय के सेवानिवृत) का संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। बैठक में यह बताया गया कि पूर्व में आयोग के निदेश पर प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर चयन समिति द्वारा अनुशंसा कर दी गयी है। इस संबंध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इस संबंध में रोस्टर का अनुपालन आयोग स्तर से ही किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में कार्यालय स्तर से ही रोस्टर पंजी तैयार कर उक्त पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

9. बैठक में आयोग के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय, पटना का नोटिफिकेशन दिनांक–28.11.2018 की प्रति प्रस्तुत की गयी। उक्त के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के अंदर भी माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य तथा उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा संबंधी दावों को दिनांक 19.12.2023 को आयोजित आयोग की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में गठित Advisory कमिटी के द्वारा ही अनुशंसित किया जायेगा ।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/–	ह0/–
उज्ज्वल कुमार दुबे	अनंता मनोहर बदर
माननीय सदस्य	माननीय अध्यक्ष

ज्ञापांक: ......18 162...............   पटना, दिनांक 21/12/2023

प्रतिलिपि : माननीय अध्यक्ष कोषांग/माननीय सदस्यगण कोषांग/अपर पुलिस महानिदेशक कोषांग/सचिव कोषांग/निबंधक कोषांग बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajek.
21/12/23
सचिव